182

संख्याः — /VII-2-14/69–उद्योग/2006

प्रेषक,

डा0 नीरज खैरवाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग — देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2014

विषयः **वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर योजनाओं में प्राविधान के सापेक्ष बजट धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 322/उ0नि0(दो)/बजट मॉग/2014–15 दिनांक 26 अप्रैल, 2014 तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 318/XXVII(1) /2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में उद्योग निदेशालय के अधिष्ठान व्यय हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अंतर्गत बचनबद्ध/अबचनबद्ध मदों की समस्त **धनराशि रू0 30,39,65,000.00 (रू0 तीस करोड़ उन्तालीस लाख पैसठ हजार मात्र) की धनराशि संलग्न ॲलाटमेंट आई0डी0 संख्या S1405230044, S1405230045, S1405230046, S1405230047, दिनांक 12 मई, 2014** के अनुसार निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2 आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उकत धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3 स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

4 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

5 स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

6 व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में

धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शसन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्ष–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 03–अधिष्ठान व्यय 18–उत्तराखण्ड अर्न्तराष्ट्रीय एवं पर्यटन कार्यालय की स्थापना/25–मुख्य निवेश आयुक्त कार्यलय, नई दिल्ली तथा मुख्य लेखा शीर्षक 2851–00–105–03–खादी ग्रामोद्योग परिषद् को सहायता के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामे डाला जायेगा।

8 यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0 318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः– 1) ऍलाटमेंट आई0डी0 संख्या **S1405230044** दिनांक 12 मई, 2014
2) ऍलाटमेंट आई0डी0 संख्या **S1405230045** दिनांक 12 मई, 2014
3) ऍलाटमेंट आई0डी0 संख्या **S1405230046** दिनांक 12 मई, 2014
4) ऍलाटमेंट आई0डी0 संख्या **S1405230047** दिनांक 12 मई, 2014

भवदीय,

(डा0 नीरज खैरवाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 456 /VII-2-14/69–उद्योग/2006,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य कोष अधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, देहरादून।
7. मुख्य निवेश आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।